29/9/25

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, RO Meeting में है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/01/25 को पेश हो।

01/12/25

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, अवकाश में है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 02/02/26 को पेश हो।

02/2/26

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस एकतरफा सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रा० प्र० u/s 12 RT Act प्रारंभिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी 1 को आदेशिका मूलवाद इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा है पारित किया जाता है कि वह बिना खाता विभाजन कराये आपसी प्रार्थी के किसी हिस्से विशेष पर कोई निर्माण नहीं करे। प्रार्थी भी किसी हिस्सा विशेष पर निर्माण नहीं करे। पत्रावली पैसामसूल होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ सलग्न हो।

मौके एवीडेन्स की आवश्यकता है

2/2/26

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:17:00 IST
Reason: SelfAttested

2/2/26
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner